राज्यों का स्थापना दिवस नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रसंग

विविधतापूर्ण, सांस्कृतिक, पौराणिक चेतना के केन्द्र हमारे राज्य,राजभवन में संयुक्त समारोह में मना हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस

भोपाल(काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि राज्यों का स्थापना दिवस नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रसंग है। समारोह, राज्य के विकास, खुशहाली के लिए सबके विश्वास, साथ और प्रयासों से नव निर्माण का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि अखंड भारत के सभी राज्य भारत माता के वह सपूत है, जिन्होंने अपनी धरोहर, संस्कृति और परंपराओं के सम्मान के साथ राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है। समय की जरूरत है कि हमारी गौरवशाली आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में प्रत्येक नागरिक योगदान का संकल्प लें और एक भारत को श्रेष्ठ, भारत बनाए। श्री पटेल राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के संयुक्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता एवं प्रदेश में निवासरत तीनों राज्यों के मूल निवासी मौजूद थे। श्री पटेल का समारोह में तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके राज्य की परंपरा अनुसार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन के वीडियों संदेश का प्रसारण किया गया। श्री पटेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों ही प्रदेश हमारी विविधतापूर्ण, पौराणिक परंपरा की ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक धरोहरों के केन्द्र है। समय की मांग है कि राज्यों की मूल पहचान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के गौरव को विश्व के कोने-कोने तक पहुँचाने में प्रत्येक नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। उन्होंने गौरवशाली भारतीय संस्कृति की धरोहर के संरक्षक, विविधता में एकता के संकल्प एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परंपरा में आयोजित महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के संयुक्त समारोह में आए अतिथियों का राजभवन में स्वागत, अभिनंदन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति के लिए के कलाकारों को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में अपर सचिव राजभवन उमाशंकर भार्गव, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के प्रतिनिधि के रुप में भारतीय वन सेवा के मध्यप्रदेश कॉडर के अधिकारी पुरुषोत्तम धीमान, हिमाचली समाज जन कल्याण समाजिक सेवा समिति भोपाल के संजीव डोगरा, महाराष्ट्र समाज तुलसी नगर ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष विलास बुच के मराठी साहित्य अकादमी निदेशक संतोष गोडबोल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अमिजीत देशमुख, मराठी समाज जबलपुर की प्रतिनिधि श्रीमती नीलिमा देशपांडे, अखिल भारतीय गुजराती समाज के अध्यक्ष संजय पटेल, गुजराती समाज भोपाल के सचिव मिनेश पटेल और महिला मंडल अध्यक्षा सुश्री रेखा कांटावाला मौजूद थे। अवर सचिव राजभवन श्रीमती आभा शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन एवं आभार प्रदर्शन नियंत्रक हाऊस होल्ड श्रीमती शिल्पी दिवाकर ने किया।

संविदा कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर कहा-शोषण बंद हो

भोपाल (काप्र)।

राजधानी में आज में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तथा मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से संविदा कर्मचारियों का शोषण खत्म कर समान कार्य समान वेतन की मांग की। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजो के जाने के बाद भी आज संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी के रुप में बंधुआ मजदूरी जारी है, जिसके कारण बेरोजगारी का फायदा उठाकर सरकारें शिक्षित युवा पीढ़ी का शोषण कर रही है, जबकि संविधान की धारा 13 और 14 में कार्य स्थल पर समानता का अधिकार दिया गया है। उसके उलट सरकारें संविदा कर्मचारियों को आधा वेतन देकर पूरा काम लेती है।

घाड़गे पर एफआईआर के विरूद्ध पुलिस कमिश्नर से मिले ध्रुव

भोपाल (काप्र)।

पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने भाजपा नेता कृष्णा घाड़गे पर एफआईआर के खिलाफ और लव जिहाद के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पुलिस कमिश्नर से की।

भोपाल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने लव जिहाद के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर कमिश्नर से मुलाकात की आवेदन दिया। ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि मुस्लिम लड़कों ने लव जिहाद के फार्मूले के माध्यम से देह शोषण किया, पुलिस प्रशासन को उनकी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए।

जितने युवक इस लव जिहाद मामले में शामिल हैं उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। लव जिहाद की यह घटना अजमेर कांड जैसी है। मध्य विधानसभा में कांग्रेसी नेताओं द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर भाजपा नेता कृष्णा घाडगे पर एफआईआर की इसकी जांच की जाए और उसे निरस्त किया जाए। आवेदन देने पहुंचे मध्य विधानसभा के नेता में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा घाड़गे क्षेत्रीय पार्षद विलासराव घाडगे महाराणा प्रताप भाजपा मंडल अध्यक्ष निर्भय धाकड़ पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह साथ ही मध्य विधानसभा के कई वरिष्ठ नेता एवं पार्षद गण उपस्थित रहे।

सख्त कार्रवाई की जाएगीः सारंग

वहीं लव जिहाद मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ऐसी मिसाल पेश की जाएगी कि अपराधी सोचकर भी कांपेंगे। लव जिहाद कहीं भी-किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं इसीलिए एसआईटी बनाई गई है। लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने कठोर कानून बनाया है, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोली बेटियों के धर्मांतरण का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। स्कूल-कॉलेज में महिला शिक्षकों के माध्यम से बेटियों से संवाद स्थापित किया जायेगा, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।

उन्नत कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए मंदसौर में होगा किसान मेला

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 3 मई 2025 को मंदसौर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन एवं कृषि उद्योग समागम-2025 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भाग लेंगे। डॉ. यादव आयोजन में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में कार्य करने के लिये इच्छुक निवेशकों के साथ संवाद भी करेंगे, जिससे नये निवेशक मंदसौर जिले में निवेश के लिये आकर्षित होंगे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मंदसौर जिला औषधीय और मसाला खेती में अग्रणी है। मेले के आयोजन से मंदसौर जिले में औषधीय फसलों को और अधिक बढ़ावा मिल सकेगा। उन्नत कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए 3 मई को मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री-हॉर्टी एक्सपो का आयोजन किया जायेगा। किसान मेले में किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों, शासन की योजनाओं एवं कृषि प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल का गुरूवार को राजभवन में पुष्प गुच्छ भेंट कर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अभिनंदन किया।

ऑनलाइन फूड में निकली मरी हुई मक्खी...

उपभोक्ता आयोग ने होटल को दिया 15 हजार 130 रुपए जुर्माना देने का आदेश

भोपाल(काप्र)।

राजधानी में एक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी से मंगवाये गये खाने में मरी हुई मक्खी मिलने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने होटल को दोषी मानते हुए 15 हजार 130 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 25 मार्च 2024 का है, जिसके लिये पीड़ित ने एक साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी।

गौतम नगर इलाके में रहने वाले अभिषेक ने रात करीब साढ़े 10 बजे स्विगी के जरिए एक बटर खिचड़ी और लस्सी का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर की डिलेवरी आने पर खाने का पार्सल खोलने से पहले ही पारदर्शी पैकिंग में खिचड़ी के अंदर मरी हुई मक्खी नजर आई। अभिषेक ने फौरन ही स्विगी को ईमेल और चैट के जरिए इसकी शिकायत की। लेकिन इसके जवाब में स्विगी की और से कहा गया कि उन्होंने होटल को खाने का पैमेंट कर दिया दिया है, अब यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परेशानी का हल नहीं मिलने पर अभिषेक ने उपभोक्ता आयोग में केस किया। मामले की सुनवाई उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने की। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि खाने में मरी हुई मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है। क्योंकि स्विगी केवल खाना पहुंचाने का एक माध्यम है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। साथ ही उपभोक्ता आयोग ने होटल को आदेश दिया कि वह 2 महीने के अंदर ऑर्डर राशि 130 रुपए वापस करें। इसके साथ ही 10 हजार रुपए मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में और 5 हजार रुपए लीगल कॉस्ट के रूप में दे। और यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो इस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की दीं शुभकामनाएं

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं हैं। डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ महादेव और द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से पल्लवित गुजरात की पावन धरा विकास के नए आयाम गढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहर, लोक कला व संस्कृति से समृद्ध गुजरात उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, वीरों की शौर्यगाथाओं, संतों की वाणी और जनसेवा के संकल्प की धरती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और नागरिकों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली का संचार हो, यही कामना है।

डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिकों के तप, त्याग और पुरुषार्थ से ही विकास का हर संकल्प साकार होता है। परिश्रम, संकल्प और समर्पण से राष्ट्र की नींव को मजबूत करने वाले हमारे श्रमिक भाई-बहनों के श्रम का सम्मान करते हुए समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना, हम सब का कर्त्तव्य है।

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल
क्रमांक 513/राजस्व/भो.वि.प्रा./25
भोपाल, दिनांक 23/04/2025

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की बस स्टॉप नं. 10, योजना में स्थित एम.आई.जी. प्रकोष्ठ क्र. 2, वर्तमान में श्री मुन्ना लाल शर्मा आ. स्व. श्री आर. बी. शर्मा के नाम पर अंकित है, जिनका स्वर्गवास दिनांक 13/11/ 2021 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिसगण श्रीमती आशा शर्मा पत्नी स्व. श्री मुन्ना लाल शर्मा, श्रीमती अनिता शर्मा, श्रीमती अल्का शर्मा, श्रीमती सपना शर्मा, श्रीमती अल्पना शर्मा पुत्रियाँ स्व. श्री मुन्ना लाल शर्मा द्वारा प्रकोष्ठ का नामांतरण संयुक्त नाम पर किये जाने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आदि वांछित अभिलेख संलग्न कर निवेदन किया है। अतः उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी /बैंक संस्था को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञाप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/ दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/ आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

राजस्व अधिकारी
326 **भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल**

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल
क्रमांक 776/राजस्व/भो.वि.प्रा./25
भोपाल, दिनांक 1/5/2025

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित कया जाता है, कि प्राधिकरण की कस्तूरबा नगर योजना में स्थित भूखण्ड क्र. 57 सेक्टर-ए, वर्तमान में श्री दयानंद चतुर्वेदी आ. श्री दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी एवं श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी आ. श्री दयानंद चतुर्वेदी के संयुक्त नाम पर आवंटित है। संयुक्त आवंटी में से श्री दयानंद चतुर्वेदी का स्वर्गवास दिनांक 24/07/2014 एवं श्री प्रभात चंन्द्र चतुर्वेदी का स्वर्गवास दिनांक 07/07/2020 को हो जाने के कारण संयुक्त आवंटी के वारिसगण श्री मनीष चतुर्वेदी आ. स्व. श्री दयानंद चतुर्वेदी, श्रीमती चित्रा चतुर्वेदी पत्नी स्व. श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी, श्री अनिक चतुर्वेदी, श्री अंकित चतुर्वेदी पुत्रगण स्व. श्री प्रभात सिंह चतुर्वेदी ने आवेदन पत्र, के साथ शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड परिचय पत्र एवं पंजीकृत वसीयत की छायाप्रति संलग्न कर उक्त भूखण्ड का संयुक्त नाम पर नामांतरण चाहॉ गया है। यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा /आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
327 **भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल**

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
क्रमांक 8984/राजस्व/भो.वि.प्रा./25
भोपाल, दिनांक 20/02/2025

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की साकेत नगर योजना स्थित भूखण्ड क्रमांक 132 सेक्टर 9-B, श्री बहादुर सिंह राजपूत आ. स्व. श्री बारूराम के नाम पर आवंटित अंकित है। आवंटी श्री बहादुर सिंह राजपूत का स्वर्गवास दिनांक 18/01/2025 एवं माता श्रीमती रंजना रानी पत्नी श्री बहादुर सिंह राजपूत का स्वर्गवास दिनांक 1996 को हो जाने के कारण उनके वारिसगण जिनमें 03 पुत्रियॉं एवं 01 पुत्र 1. श्रीमती डॉ कंचन सिंह पत्नी श्री बलराज सिंह 2. श्रीमती संगीता चोपडा पत्नी श्री नीरज चोपडा 3. श्रीमती अनुपमा राजपूत पत्नी श्री अमित कुमार राजपूत 4. श्री संदिप सिह राजपूत आ. श्री बहादुर सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ-पत्र,मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं नोटराईज्ड वसीयत के आधार पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण अपने संयुक्त नाम पर चाहा गया है। 1. श्रीमती डॉ कंचन सिंह पत्नी श्री बलराज सिंह 2. श्रीमती संगीता चोपडा पत्नी श्री नीरज चोपडा 3. श्रीमती अनुपमा राजपूत पत्नी श्री अमित कुमार राजपूत 4. श्री संदिप सिह राजपूत आ. श्री बहादुर सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, नोटराईज्ड वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का नामान्तंरण अपने संयुक्त नाम पर चाहा गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से सात दिवस के अन्दर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी, तथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वंतत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
328 **भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल**

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्री प्रियंक गगरानी पुत्र श्री कमलेश गगरानी, आयु-वयस्क, निवासी म.नं 11-DX सेक्टर सी, स्कीम नं 71, गंगोत्री इंदौर म.प्र., हाल मुकाम भोपाल म.प्र. से उनके स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता आवासीय व्यपवर्तित भूखण्ड जिसका पुराना खसरा क्रं. 40/2/5 नया खसरा क्र. 203 क्षेत्रफल 10890 वर्गफीट अर्थात् 1012.08 वर्गमीटर है, जो कि ग्राम गेहूँखेडा कोलार रोड वार्ड क्रं. 83, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. में स्थित है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार हैः पूर्व में खसरा क्रं. 201 की भूमि, पश्चिम मे खसरा क्रं. 204 की भूमि, उत्तर में रोड, दक्षिण में खसरा क्रं. 210 की भूमि को क्रय करने का अनुबंध किया है। इस संपत्ति पर इंडियन बैंक का ही ऋण है इसके अलावा कोई ऋण नहीं है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय आदि का उपरोक्त भूमि में कोई हितसम्बद्ध हो अथवा उन्हें उपरोक्त संव्यवहार पर कोई आपत्ति हो तो वे सूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर मय दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा मेरा पक्षकार उक्त वर्णित संपत्ति का विक्रयपत्र पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र होगा। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

AJAY SINGH CHOUHAN
Additional Public Prosecutor
R-28, Purushottam Estand, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal
Mo. 9893338331
329

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल
प्र. क्र. 0313/अ-6/2025-26

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण क्रमांक-0313/अ-6/2025-26 का सक्षिप्त विवरण आवेदक संदीप सरसे, निवासी भोपाल म.प्र. के आवदेन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है। कि ग्राम-जाटखेडी, स्थित भूमि खसरा क्रमांक 39/1/1/1, 40, 41/1, 42/2/1/2, 43, 42-43/1/1, 42/ 43/2/2, 42-43/3/2, 45/1, 45/2, 46/7/kh 46/2, 48, 114/1/1, 114/1/2, 114/2, 114/3, 115/1, 115/2, 116, 117/1/K, 117/1/kh, 118/1, 118/2 119, 121/3/1, 136,121/2, 1,136, 166/ 112, 117/2 122-123, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5 व अन्य खसरा के अंश भाग ग्राम-जाटखेडी पटवारी हल्का क्रं. 51/42, तहमिल हुजूर, जिला भोपाल पर स्थित भूखण्ड क्रमाक-242, रकबा 97.50 वर्गमीटर का रजिस्टर्ड,/विक्रय पत्र दि. 3/3/2025 के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवदेन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 23/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील कोलार भोपाल
330

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD
इंडियन बैंक
टी.टी. नगर शाखा, भोपाल (म.प्र.)
ई-नीलामी विक्रय सूचना

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित ऋणियों / बंधककर्ताओं एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय निम्न वर्णित दिनांक को **इंडियन बैंक, टी.टी नगर शाखा (सुरक्षित लेनदार)** के निम्न वर्णित बकाया राशि को ऋणियों / बंधककर्ताओं एवं जमानतदारों से वसूल करने हेतु ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा/ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	चल/अचल संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि
ऋणीः 1. **मेसर्स नेक्स्ट स्टेप लाईट्स इंडिया प्रा. लि.** (डायरेक्टर / जमानतदार) 2. श्री अमित कुमार शर्मा पुत्र श्री कसाब दयाल शर्मा 3. श्रीमती निशा शर्मा पत्नि श्री अमित कुमार शर्मा बंधककर्ता/जमानतदारः श्रीमती देवी सुरजन पत्नि श्री विट्ठल सुरजन	(Property ID: IDIB302758367311) 1.डायवर्टेड भूमि खसरा नं. 180/1/6/2 स्थित ग्राम-लौखेड़ी पटवारी हल्का नं. 23, तहसील हुजूर, जिला- भोपाल (म.प्र.) (क्षेत्रफल- 1500 वर्गफिट या 139.355 वर्गमीटर) चर्तुसीमाएं- पूर्व- खरीददार की संपत्ति, पश्चिम- श्रीमती विमला गोपीनाथ की संपत्ति, उत्तर- अन्य की भूमि, दक्षिण- रास्ता सांकेतिक कब्जा	11/11/2022 31/01/2023 दिनांक 27/04/2025 को ₹ 13681475/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 20,50,000/- ₹ 2,50,000/- ₹ 10,000/-
	(Property ID: IDIB302758367312) 2.डायवर्टेड भूमि खसरा नं. 180/1/6/2 स्थित ग्राम-लौखेड़ी पटवारी हल्का नं. 23, तहसील हुजूर, जिला- भोपाल (म.प्र.) (क्षेत्रफल- 1721 वर्गफिट या 159.886 वर्गमीटर) चर्तुसीमाएं- पूर्व- बाबा अलावी की संपत्ति, पश्चिम- श्रीमती विमला गोपीनाथ की संपत्ति, उत्तर- अन्य की भूमि, दक्षिण- रास्ता सांकेतिक कब्जा		₹ 23,50,000/- ₹ 2,35,000/- ₹ 10,000/-

Bank Website : www.indianbank.in
E-auction website
Property Location Property ID: IDIB302758367311
Property Location Property ID: IDIB302758367312

सम्पर्क : 1. श्री अंकुर सिंह, प्राधिकृत अधिकारी, 7415887874

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 26.05.2025, को सुबह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी प्लेटफार्म : http://BAANKNET.com पर संपन्न होगी।

निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है वे ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु हमारे ई-नीलामी सर्विस प्रदाता **PSB alliance Pvt. Ltd.**, की वेबसाइट **http://BAANKNET.com** देखें। तकनीकी सहायता हेतु कृपया सम्पर्क करें **8291220220**, email ID: **support.ebkray@psballiance.com**. इच्छुक निविदाकर्ता / क्रेता ई-नीलामी प्रक्रिया में ई-नीलामी सर्विस प्रदाता की वेबसाइट **http://BAANKNET.com** द्वारा भाग ले सकते हैं।

ई-नीलामी के इच्छुक भागीदार **http://BAANKNET.com** से विक्रय सूचना, ई-नीलामी की नियम एवं शर्ते नीलामी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ई-नीलामी के परिचालन भाग पर उपयोगकर्ता मेनुअल की प्रतियाँ निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

निविदाकर्ताओं से निवेदन किया जाता है संपत्ति के बारे में जानकारी हेतु प्रोपर्टी आईडी नं. से वेबसाइट **http://BAANKNET.com** देखें।

दिनांक : **28/04/2025**, स्थानः भोपाल
प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक